20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(12)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(1146)

प्र0क0 /2016 निगरानी ~~R-3086~~ R-3806-I/16

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड. द्वारा आज दि. 4/11/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हनीमन बी बेबा स्वर्गीय मोहम्मद पीरू खॉ
निवासी – गढा बैदरो मोहल्ला, जिला
जबलपुर (म0प्र0) ————आवेदिका

बनाम

1– मोहन रैकवार पिता किशनलाल रैकवार
2– मुन्नालाल रैकवार पिता सुमेरलाल रैकवार
निवासीगण – जिला
जबलपुर (म0प्र0) ———अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा' 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय, नजूल कोतवाली, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 175/अ–6/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 23–8–2016 एवं 6–10–2016 से परिवेदित होकर।

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

माननीय,

आवेदिका का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के तथ्यः–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम कछपुरा के खसरा नम्बर 73/1 रकवा 0.664 हैक्टर भूमि के भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी शासकीय अभिलेख में आवेदिका के पति स्वर्गीय पीर खॉ उर्फ पीरू पिता मुरीद खॉ निवासी गढा बैदरो मोहल्ला, जिला जबलपुर थे आवेदिका के पति की मृत्यु दिनांक 7–5–1999 को हो जाने से आवेदिका द्वारा मृतक के स्थान पर वारिसान नामान्तरण कराये जाने बावत् नायब तहसीलदार महोदय नजूल जिला जबलपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे प्रकरण कमांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3806–एक / 16 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
5.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित। अनावेदक अधिवक्त श्री एस0 पी0 तिवारी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार नजूल कोतवाली जबलपुर के प्रकरण कमांक 175 / अ–6 / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 23.8.16 एवं 6.10.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला जबलपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29 / 03 / 19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29 / 3 / 19 **कलेक्टर जिला जबलपुर**	